

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 78/2024

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी—

श्री जसवन्तसिंह पुत्र श्री मोहबतसिंह
जाति रावणा राजपूत, निवासी ग्राम
सोनड़ी, तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 25.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर द्वारा मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स जय माजीसा रेस्टोरेन्ट, बाड़मेर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री जसवन्तसिंह पुत्र श्री मोहबतसिंह उपस्थित मिला। उक्त दुकान में खाना बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है—




जिला कलक्टर
बाड़मेर



क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	948799E	IOCL	25.000 Kg	15.600 Kg	9.400 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 1 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर के मालिक श्री खेतसिंह पुत्र श्री बन्नेसिंह निवासी ग्राम गेहूँ, जिला बाड़मेर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स आईनाथ गैस सर्विस बाड़मेर को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस




जिला कलेक्टर
बाड़मेर

सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है जो उसकी अपराध की मौनस्वीकृति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के गैस सिलेण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये जाने से उपरोक्त एक गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।



आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर